

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.- 8/ज.स.(नि.)ल.सिं.रांची-07/2006:- / राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री जुबैर अहमद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो के विरुद्ध घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय संकल्प सं. 2555 दिनांक 17.07.2009 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री अहमद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.07.2010 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के तहत संपरिवर्तित किया जाता है।

3. उक्त आदेश पर प्रधान सचिव की सहमति प्राप्त है।

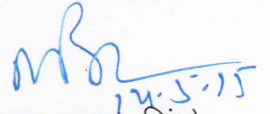
ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि.)।

ज्ञापांक:- 2371 /

राँची, दिनांक:- 14-5-15

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/ श्री जुबैर अहमद (सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता), ग्राम- नीमचक, पो.- बेलागंज, जिला- गया (बिहार)/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि.)।
14-5-15